भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

डाकघरः केट / PO: CAT
इन्दौर / Indore – 452013

संदर्भ : 14 / 05 / 2020–जी.एस.सी. / 297 दिनांक 18 / 03 / 2021

परिपत्र

विषय :– कोरोना वाइरस संकमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध मे दिशा निर्देश।

संदर्भ :–
1. **एफ 35–09 / 2020 / दो / सी–2 दिनांक 13 / 03 / 2021 – म. प्र. गृह विभाग, भोपाल।**
2. **कोविड–19 / 2021 / 9118 दिनांक 15 / 03 / 2021 – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर।**
3. **एफ 35–09 / 2020 / दो / सी–2 दिनांक 16 / 03 / 2021 – म. प्र. गृह विभाग, भोपाल।**
4. **1043 / री.ए.डी.ए / 2021 दिनांक 16 / 03 / 2021 – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर।**

कृपया उपरोक्त परिपत्रो का संदर्भ ले।

2. इस संबंध मे आरआरकेट के सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे महाराष्ट्र राज्य से इन्दौर जिले में हवाई यात्रा करते है तो वे अपने साथ कोविड RTPCR टेस्ट की नेगेटिव रिर्पोट रखना अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट यात्रा से 48 घण्टे पूर्व के अवधि के भीतर की होना अनिवार्य है।

3. वे कर्मचारी जो महाराष्ट्र राज्य से RTPCR टेस्ट नही करा कर आते है तो उन्हे इन्दौर एयरपोर्ट पर ही अपना RTPCR टेस्ट आवश्यक रूप से कराना होगा तथा उक्त टेस्ट की रिर्पोट आने तक स्वयं को आवश्यक रूप से कवारंटाईन मे रखना होगा। टेस्ट कराने के उपरांत कर्मचारीयों को वहां पर स्थित कोविड दल से सम्पर्क कर इन्दौर – 311 एप डाउनलोड करना होगा जिसके द्वारा उनके होम क्वारंटाईन होने की निगरानी कोविड कंट्रोल सेन्टर द्वारा की जांएगी।

4. रेल या सडक मार्ग से महाराष्ट्र से आने वाल कर्मचारी को भी RTPCR टेस्ट करवाना होगा और RTPCR नेगेटिव रिर्पोट आने तक आवश्यक रूप से क्वारंटाईन में रहना होगा। RTPCR टेस्ट हेतु प्रभारी, आर.एम.सी. से दूरभाष द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

5. इसके साथ यह भी सूचित किया जाता है कि वे कर्मचारी जो सरकारी यात्रा पर महाराष्ट्र राज्य से इन्दौर जिले में आते है तो उनके द्वारा कराये गये RTPCR टेस्ट की राशि की प्रतिपूर्ति आरआरकेट के द्वारा वहन किया जाएगा परन्तु यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कारणो से महाराष्ट्र राज्य से इन्दौर जिले मे आते है तो उनहे स्वयं के खर्चे पर RTPCR टेस्ट कराना होगा या फिर उन्हे 07 दिनो के लिए परिवर्तित अवकाश लेकर आवश्यक रूप से क्वारंटाईन मे रहना होगा।

6. सभी कर्मचारी अपनी महाराष्ट्र यात्रा (सरकारी या व्यक्तिगत) संबंधी जानकारी प्रभारी, आर.एम.सी. को आवश्यक रूप से दूरभाष सुविधा का उपयोग कर के प्रदान करें। प्रभारी आर.एम.सी. के दिशा निर्दोशों का पूर्ण रूप से पालन करें।

7. अगले सूचना तक यह परिपत्र लागू रहेगा।

8. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है।

18/3/2021

(डी. सी. मीना)
कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

<u>मेल ऑल</u>